



टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

सं. 6(29)/एलसी/नीलामी/अपशिष्ट चाय/2024/691

दिनांक 24.10.2024

परिपत्र

विषय: 1 अक्टूबर, 2024 से शुरू होने वाली तीन माह की अतिरिक्त अवधि के लिए 100% अपशिष्ट चाय नीलामी के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

टी बोर्ड द्वारा 100% अपशिष्ट चाय नीलामी को तीन माह की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने के संबंध में जारी किए गए आदेश संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/नीलामी/ अपशिष्ट चाय/2024/599 दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ आमंत्रित किया गया है। इस अतिरिक्त अवधि के दौरान नीलामी के माध्यम से 100% अपशिष्ट चाय रूटिंग का अनुसरण करने के लिए परिपत्र सं. 6(29)/एलसी/नीलामी/ अपशिष्ट चाय/ 2024 दिनांक 22.04.2024 के माध्यम से परिचालित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और बाद में 31 मई, 2024 के ई- मेल के माध्यम से संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाएगा, बशर्ते कि -

- (क) 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की फैक्ट्री गेट पास तिथि वाले सभी अपशिष्ट चाय धारक इस अभ्यास के दायरे में आएंगे।
- (ख) कोई भी चाय परीक्षण एजेंसी या प्रयोगशाला जो उपर्युक्त एसओपी में सूचीबद्ध नहीं है और चाय परीक्षण प्रक्रिया में भाग लेना चाहती है, उसे पैनल में शामिल होने के लिए चाय नीलामीकर्ता संघ के साथ अपने परिचय पत्र को मान्य करना होगा,
- (ग) लिए गए नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट विशिष्ट चाय की नीलामी से पहले उपलब्ध होनी चाहिए, तथा
- (घ) एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन करने में विफल रहने वाली चाय को नीलामी की तिथि से पहले नीलामी से वापस ले लिया जाएगा, जिसकी सूचना नीलामीकर्ताओं द्वारा टी बोर्ड को दी जाएगी, ऐसी चाय के विक्रेताओं को मौजूदा नियमों के अनुसार दूषित चाय के उचित निपटान के लिए बोर्ड से संपर्क करना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गैर-अनुपालन वाली चाय विपणन चैनल में प्रवेश न करे।

इसे संबंधित संघ के सभी सदस्यों के संज्ञान में लाया जाए।

यह मुद्रा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया।

रजनीगंधा शील नस्कर

(रजनीगंधा शील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

1.	सभी चाय उत्पादक संघ	सदस्यों के सूचनार्थ एवं परिचालन हेतु
2.	सभी क्रेता संघ	
3.	सभी चाय निर्यातक संघ	
4.	सभी पंजीकृत नीलामी आयोजक	
5.	चाय नीलामीकर्ता संघ (एटीए)	
6.	सभी भांडागार संघ	
7.	सभी लघु चाय उत्पादक संघ	
8.	समिति सदस्यगण	सूचनार्थ
9.	कार्यकारी निदेशक, कुन्नूर एवं गुवाहाटी	
10.	उ नि चा वि सिलीगुड़ी	
11.	प्रणाली विश्लेषक	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001

14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001

www.teaboard.gov.in

सं. 6(29)/एलसी/नीलामी/अपशिष्ट चाय/2024/ 599

दिनांक 1 अक्टूबर 2024

आदेश

विषय: 100% अपशिष्ट श्रेणी चाय की नीलामी-बाति।

आदेश एस.ओ. 855(ई) दिनांक 23.02.2024 के तहत टी बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्र सरकार के परामर्श से, टी बोर्ड यह निर्दिष्ट करता है कि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैराग्राफ 21(1) में निहित प्रावधान 1 अक्टूबर, 2024 से तीन (3) माह की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रहेंगे।

हस्त/-

(सौरव पहाड़ी)

पंजीकरण प्राधिकारी

वितरण:

1. सभी चाय उत्पादक संघ
2. सभी क्रेता संघ
3. सभी चाय निर्यातक संघ
4. सभी पंजीकृत नीलामी आयोजक
5. चाय नीलामीकर्ता संघ (एटीए)
6. मेसर्स एनएसईआईटी लिमिटेड
7. मेसर्स एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
8. मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
9. बोर्ड के सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय